10/12/24

पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी को जरिये रजि. डाक तामिल हो चुकी है बार बार आवाज लगाई गई हाजिर नही आने के कारण अप्रार्थी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधि. प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। हकों के संबध में उभयपक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है। दिनांक 30/3/21 को जारी स्थगन आदेश ता- फैसला दावा कन्फर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नही है बल्कि उभयपक्षों के मध्य विवाद नही बढने में सहायक ही है। उपर्युक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 30/3/2021 को जारी स्थगन आदेश ता- फैसला मूल वाद के कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.27 13:25:29 IST
Reason: SelfAttested